भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 307

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीनी फैशन ब्रांड 'शीन' को पुनः प्रवेश की अनुमति

***307. श्री ससिकांत सेंतिलः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ भूराजनीतिक तनाव के कारण चीनी फैशन ब्रांड 'शीन' पर जून 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था और उसे भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश की अनुमति पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि इस ब्रांड को पुनः अनुमति देने में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी निवेश और डेटा की गोपनीयता संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थानीय व्यावसायिक हितों की सुरक्षा तथा खुदरा और ई-कॉमर्स क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 307 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा और निजता से संबंधित चिंताओं के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेज, दोनों में शीन एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर दिनांक 29.06.2020 को प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में शीन ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं था। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ('आरआरवीएल), भारत ने स्वदेशी ई-कॉमर्स रिटेल प्लेटफार्म ('प्लेटफार्म') का विकास करने के लिए अपनी सहायक कंपनी- आरआरएल (रिलायंस रिटेल लिमिटेड) के जरिए सिंगापुर स्थित रोडगेट बिजनेस पीटीई. लिमिटेड ('शीन') के साथ प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना है, जो शीन ब्रांड के तहत उत्पादों का विनिर्माण करेंगे तथा उन्हें घरेलू और वैश्विक रूप से बेचेंगे। इससे स्थानीय हस्तशिल्प सहित भारतीय वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र का विकास करने और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगी।

तद्नुसार, वस्त्र मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ विचार-विमर्श करके (जिसने बदले में गृह मंत्रालय के साथ परामर्श किया) आरआरवीएल के प्रस्ताव पर अनापत्ति सूचित की है। लाइसेंस समझौते में यह संरक्षण शामिल है कि प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और नियंत्रण आरआरवीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के जरिए सदैव इसी के पास रहेगा। इस समझौते के अनुसार, प्लेटफॉर्म को हमेशा भारत की अवसंरचना पर होस्ट किया जाएगा तथा सभी प्लेटफॉर्म डेटा (भारतीय उपभोक्ताओं से एकत्रित सभी डेटा सहित प्लेटफॉर्म के प्रचालन से सृजित व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा) सदैव भारत में रहेगा जिस तक शीन की पहुंच नहीं होगी अथवा ऐसे डेटा पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। समझौते में यह अपेक्षा की गई है कि सहमत पक्ष भारतीय कानूनों का पालन करेंगे तथा अवसंरचना और प्लेटफॉर्म डेटा का स्थानीयकरण सुनिश्चित करेंगे। आरआरवीएल को यह भी सलाह दी गई है कि वह भारत के सभी मौजूदा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा किसी भी सरकारी पैनलबद्ध साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर द्वारा सम्पूर्ण अवसंरचना का सिक्योरिटी ऑडिट कराना भी सुनिश्चित करे।

(ग) : सरकार, स्थानीय व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखते हुए छोटे खुदरा व्यापारियों और परंपरागत किराना स्टोर्स के हितों को सुरक्षित रखने पर ध्यान दे रही है जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्पर्धा के समान अवसर सुनिश्चित करने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पहल ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी बनाती है जिससे लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय को प्लेटफार्म-केंद्रित नीतियों से उत्पन्न बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता बल्कि वे किसी भी ओएनडीसी-अनुकूल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र व्यापक विधायी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्य करता है। इस क्षेत्र पर लागू होने वाले प्रमुख अधिनियमों में, अन्य के साथ-साथ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,

2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 शामिल हैं। इस संदर्भ में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को यह अधिदेश देता है कि वह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोके, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए तथा बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे तथा भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार में स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। सीसीआई प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों से संबंधित मामलों तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उद्यमों द्वारा आधिपत्य के दुरुपयोग संबंधी मामलों को देखता है।

इसके साथ ही, ई-कॉमर्स और खुदरा क्षेत्र संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में स्थानीय व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने की सरकार की इच्छा को दर्शाती है। ई-कॉमर्स संबंधी एफडीआई नीति का पैरा 5.2.15.2 [उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी दिनांक 26.12.2018 के प्रेस नोट 2 (2018 श्रृंखला) द्वारा यथा संशोधित], ई-कॉमर्स के मालसूची-आधारित मॉडल में एफडीआई पर रोक लगाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की मालसूची पर ई-कॉमर्स कंपनी का स्वामित्व हो तथा सीधा उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा हो। स्थानीय व्यावसायिक हितों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने के लिए सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति यह अधिदेश देती है कि 51 प्रतिशत से अधिक के विदेशी निवेश के लिए, खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की खरीद भारत से की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), ग्राम और कुटीर उद्योगों, कलाकारों और शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति किसी क्षेत्र में एफडीआई के लाभों के परिणामस्वरूप उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् पर्याप्त सुविधाओं का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अनेक शर्तों का उल्लेख करती है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों के अवसरवादी कब्जे अथवा अधिग्रहण को रोकने के लिए, प्रेस नोट 3 (2020 श्रृंखला) के जरिए एफडीआई नीति में संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों के अनुसार, उस मामले में जिसमें कंपनी ऐसे देश की है जिसकी भू-सीमाएं भारत से मिलती हैं अथवा ऐसे देश में भारत में निवेश करने वाला लाभार्थी स्वामी स्थित है अथवा ऐसे किसी देश का नागरिक है, तो केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश कर सकती है।

*****